आदेश	कार्यवाही विवरण महावीर प्रसाद बनाम पोकर
12-07-22	वादी की ओर से प्रार्थना पत्र मय वकालतनामा वकील श्री विप्लव पंडित द्वारा पेश कर प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि मूल उनवानी वाद में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने दौराने दावा व स्थगन आदेश में प्रार्थी की भूमि जिस पर अतिचार किया उस पर ग्राम पंचायत पुजारी की ढाणी से मिलकर ग्रेवल सडक डलवादी है जिसके कारण उक्त वाद की सिद्धि निष्प्रभावी हो गई है। फलस्वरूप उक्त वाद को आगे चलाने का कोई औचित्य नही नही रह जाता है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि का नक्शा भी गलत बना हुआ है। इसलिए वादी नक्शा दुरूस्ती, घोषणा बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा सम्पूर्ण सिद्धि के तहत नया वाद प्रस्तुत करना चाहता है। अतः उक्त वाद को इसी स्तर पर प्रत्याहरित करना चाहता है। वकील वादी की प्रार्थना पत्र अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से वकील वादी का कथन उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा वादी को पुनः नया वाद प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान करते हुये वाद वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। ए.सी.ई.एम. (का.दे.) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:29:21 IST
Reason: SelfAttested